विचार बिन्दु

इस विश्व में स्वर्ण, गाय और पृथ्वी का दान देने वाले सुलभ है लेकिन प्राणियों को अभयदान देने वाले इन्सान दुर्लभ हैं। –भर्तृहरि

पंचग्रास में समाहित है संपूर्ण चराचर जगत का कल्याण

पूर्वजों के पुण्य स्मरण की परंपरा भले ही हमारे यहां श्राद्ध पक्ष के सोलह श्राद्धों के माध्यम से आदि काल से चली आ रही हो पर दुनिया के लगभग सभी धर्मावलंबियों और देशों में किसी ना किसी रुप में पूर्वजों के पुण्यस्मरण की परंपरा अनवरत काल से चली आ रही है। हालांकि हमारे देश के ही कुछ प्रतिक्रियावादी लोग श्राद्ध और श्राद्ध कर्म को लेकर मखौल उड़ाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ते, पर वह यह भूल जाते हैं कि धरती के साक्षात् देवता हमारे जन्मदाता माता-पिता है। यह साफ हो जाना चाहिए कि माता-पिता के अस्तित्व को लेकर कोई किसी तरह का प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। माता-पिता की यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके स्मरण का हमारा दायित्व हो जाता है। पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों ही पीढ़ियों के स्मरण और श्रृद्धा या यों कहे कि श्राद्ध स्वरुप भोजन, वस्त्र, जल आदि आदि पत्र पुष्प के माध्यम से सम्मान स्वरुप स्मरण किया जाता है। श्राद्ध स्वरुप ब्राम्हणों को भोजन कराने और इसी तरह की अन्य व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी पंच ग्रास की परंपरा का आलोचकों को ज्ञान ही नहीं होता। श्राद्ध निमित्त ब्राह्मण भोजन से पहले पंच ग्रास का विधान है। पंचग्रास के पीछे के रहस्य को समझना भी आवश्यक हो जाता है। पंचग्रास में गोग्रास, श्वान ग्रास, कोएं को ग्रास, चिंटी आदि को ग्रास और अभ्यागत ग्रास, इस तरह से पंच ग्रास का विधान है। अब इसी से समझ सकते हैं कि इस पंच ग्रास में प्रकृति का कोई पक्ष शेष नहीं रह जाता है। गो ग्रास में पशुधन आ जाता है तो श्वान ग्रास में पशु, कोएं के ग्रास से पक्षिगण, चिंटी पतंगा के ग्रास से चिंटी आदि जीव और अंतिम अभ्यागत ग्रास में भिखारी आदि आ जाते हैं। ब्राह्मण भोजन को ढकोसला कह कर समझने वालों को श्राद्ध के मूल की सभी विधानों को समझना होगा। एक बात और साफ हो जानी चाहिए कि पंच ग्रास से अर्थ मात्र औपचारिकता से नहीं लिया जाना चाहिए।

हमारी शाश्वत परंपरा में प्रत्येक व्यक्ति पर तीन ऋण होते हैं और उनमें से पहला ऋण देव ऋण है तो दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा ऋण पितृ ऋण है। प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति को इन तीनों ऋणों से उऋण होने की शिक्षा दी जाती है तो यह उसका दायित्व भी हो जाता है। देव ऋण में सृष्टि के नियंता का स्मरण और उसके प्रति आभार प्रकट करना है। इसके लिए भजन-पूजन, स्मरण, सदाचरण आदि की बात है। जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं और किसी शक्ति में विश्वास नहीं करते तो भी उन्हें प्रकृति पर तो विश्वास करना ही होगा। प्रकृति को विकृति से बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है और प्रकृति व मानवमात्र के कल्याण की बात करना ही देव ऋण से उऋण होने का एक तरीका है। इसी तरह से हमकों शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु परंपरा का मान-सम्मान और ज्ञान की इस परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुचना ही गुरु ऋण से उऋण होने का एक तरीका हो सकता है। जहां तक पितृ ऋण से उऋण होने का प्रश्न है तो इससे उऋण होने का भी आसान रास्ता बताया गया है और वह बच्चे होते ही पूरी होना शुरु हो जाती है और इन बच्चों की शिक्षा और संस्कारित करना और शादी-विवाह आदि जिम्मेदारियों का निर्वहन तो आता ही है। यही कारण है कि पौत्र-प्रपौत्र या नाती-नातियों को देखना और पौत्र होने पर सोने की सीढ़ी चढ़ना आदि इसी और इशारा करता है कि हमारे कुल परंपरा में पूर्वजों के श्राद्ध यानी स्मरण करने वाली पीढ़ी हो गई है। कभी मृत्यु के बाद बारह दिन के संस्कारों को देखने का अवसर मिले या फिर बारहवें दिन की सपीण्डी क्रिया देखने को मिले तो कई बातें साफ हो जाती है। सपीण्डी में तीन पितृ पक्ष और तीन मातृ पक्ष के पूर्वजों के स्मरण, पूजा आदि के बाद जब सभी को एकाकार कर दिया जाता है तो उसे सपीण्डी कहा जाता है। हमारी परंपरा यहां तक ही सीमित नहीं रहती। विधान तो यहां तक है कि किसी भी यजन कार्य में पितृ पूजा अवश्य होती है और दोनों ही पक्षों की तीन-तीन पीढ़ी, यहां तक कि विवाह संस्कार में भी तीन-तीन पीढ़ियों का पुण्य स्मरण किया जाता है।

श्राद्ध स्वरुप ब्राम्हणों को भोजन कराने और इसी तरह की अन्य व्यवस्थाओं के साथ जुड़ी पंच ग्रास की परंपरा का आलोचकों को ज्ञान ही नहीं होता। श्राद्ध निमित्त ब्राह्मण भोजन से पहले पंच ग्रास का विधान है। पंचग्रास के पीछे के रहस्य को समझना भी आवश्यक हो जाता है। पंचग्रास में गोग्रास, श्वान ग्रास, कोएं को ग्रास, चिंटी आदि को ग्रास और अभ्यागत ग्रास, इस तरह से पंच ग्रास का विधान है। अब इसी से समझ सकते हैं कि इस पंच ग्रास में प्रकृति का कोई पक्ष शेष नहीं रह जाता है। गो ग्रास में पशुधन आ जाता है तो श्वान ग्रास में पशु, कोएं के ग्रास से पक्षिगण, चिंटी पतंगा के ग्रास से चिंटी आदि जीव और अंतिम अभ्यागत ग्रास में भिखारी आदि आ जाते हैं।

हमारी शाश्वत परंपरा में व महाभारत व अन्य पौराणिक ग्रन्थों में उल्लेख आता है कि महर्षि अत्रि ने सबसे पहले निमि को सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश दिया और महर्षि निमि ने सबसे पहले अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया। श्राद्ध कर्म में अग्नि को भी खास महत्व दिया गया है और यह माना जाता है कि अग्नि देव के माध्यम से श्राद्ध पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। हमारे यहां पूर्वजों के स्मरण या श्राद्ध के खासतौर से दो अवसर होते हैं। पहला अवसर तो जिस दिन दाग तिथि यानि अंतिम संस्कार या यों कहें कि देहावसान की तिथि को प्रतिवर्ष श्राद्ध का विधान है तो दूसरा महालय श्राद्ध यानि की कन्यागत सूर्य के समय के पन्द्रह दिवस। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावश्या के कुल सोलह दिन सोलह श्राद्ध के दिन होते हैं। स्वर्गागमन किसी भी पक्ष में हो पर कन्यागत श्राद्ध जिसे हम बोलचाल की भाषा में कनागत कहते है उन सोलह दिनों की तिथि के अनुसार श्राद्ध निकाला जाता है। जैसे पूर्णिमा को पूर्णिका तो प्रतिपदा का प्रतिपदा को और इसी तरह से संबंधित तिथि को। यहां एक बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शास्त्राचार व लोकाचार में एक बात पर अवश्य जोर दिया गया है कि हमारे पूर्वज श्राद्ध के दिन पुत्री प्रक्ष की उपस्थिति से अधिक प्रसन्न होते हैं। इसमें श्राद्ध भोजन के निमित्त या अवसर पर दोयते-दोयती, भांजें-भांजी को भोजन कराना अत्यधिक फलदायक बताया गया है। परिवार की पुत्रियों का इस अवसर पर स्वागत और भी अधिक प्रसंसनीय हो जाता है। स्वागत का अर्थ उनकी उपस्थिति से हो जाता है। पुत्रि पक्ष में बहन, बुआ, बेटियां आदि आ जाती है। अब इसे सामाजिक और वैज्ञानिक तरीके से भी समझने का प्रयास करें तो श्राद्ध कर्म परिवार के जुड़ाव और कुल-कुटुंब में प्रेमाचार-भाईचारा बढ़ाने का अवसर है। इससे हमारे पितृगण प्रसन्न होते हैं। अब इसी से समझा जा सकता है कि श्राद्ध के माध्यम से परिवार को एकजुट होने, एक दूसरे से मिलने-मिलाने और प्रेम और स्नेह को बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। यह सब मैं इसलिए लिख रहा हूं कि श्राद्ध के विधान को लेकर तो मर्मज्ञ विस्तार से चर्चा कर ही लेते हैं। यह भी सब जानते हैं कि श्राद्ध को जहां तक संभव हो विषम संख्या में भोजन कराना चाहिए। योग्यता एक अन्य शर्त कही जा सकती है तो शुद्धता भी आवश्यक होती है। इस सबके साथ ही विधान की लंबी फेहरिश्त हो जाती है और धर्म के आलोचक उसकों लेकर टीका-टिप्पणी करते ही रहते है। पर श्राद्ध कर्म से दो बातें साफ हो जानी चाहिए कि यह केवल और केवल हमारे यहां ही होता हो तो ऐसा है नहीं। चीन में छिंग-मिंग, जापान में ओबोन, फ्रांस में ला टेसेंट, योरापीय देशों में आल सेंट्स डे, बौद्धों में घोस्ट फेस्टिवल आदि पूर्वजों के स्मरण और पूजन आदि के अवसर है।

इसलिए यह साफ हो जाना चाहिए कि श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध कर्म के पीछे हमारे पूर्वजों की गहन सोच है। यह मात्र औपचारिकता या ब्राह्मण भोजन तक सीमित नहीं है तो भोजन कराने से पूर्वजों तक भोजन पहुंचने को लेकर मजाक उड़ाने वालों को बहुत कुछ समझने और उसके मूल को समझना होगा। यदि यह ढकोसला होता तो चीन में छिंग-मिंग, जापान में ओबोन, बौद्ध देशों में घूस्ट फेस्टिवल या योरोपीय देशों में टेसेंट या आल सेंट्स डे आदि नहीं होते। इन सबसे भी इतर हमें हमारे जन्मदाताओं के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त करना हमारा दायित्व हो जाता है और यही तो हम श्राद्ध कर्म के माध्यम से करते हैं। बस श्राद्ध में श्रृद्धा का जो महत्व है उसकी पालना हमें करनी ही होगी।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

एक ही व्यक्ति का दो सीटों पर चुनाव लड़ना कहां तक जायज़ है?

सुनील दत्त गोयल

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है कि हर नागरिक को समान अधिकार के तहत वोट डालने और अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनने का हक़ मिला है। लेकिन समय-समय पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर जनता से लिया गया टैक्स आखिर खर्च कहाँ होता है? हाल के वर्षों में जिस मुद्दे ने बार-बार सुर्खियाँ बटोरी हैं, वह है – एक ही व्यक्ति का दो सीटों से चुनाव लड़ना।

दरअसल, आज 'जनता की सेवा' शब्द नेताओं के लिए बदलकर 'सत्ता प्राप्ति' और 'कुर्सी बचाने' का खेल बन चुका है। नतीजा यह है कि कई बार सांसद या विधायक अपने वर्तमान पद या क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह चुनाव लड़ने चले जाते हैं। अगर जीत गए तो वहाँ चले जाते हैं, और हार गए तो पुरानी कुर्सी पर लौट आते हैं। सवाल यह है कि तब उस खाली हुई सीट का क्या? उस पर जब उपचुनाव होता है, तो उसका पूरा खर्च किसकी जेब से जाता है? जवाब साफ है – जनता का पैसा।

दो सीटों से चुनाव लड़ने का खेल

भारत में दो सीटों से चुनाव लड़ने की परंपरा कोई नई राजनीतिक चाल नहीं, इसकी जड़ें नेहरू-गांधी युग तक जाती हैं-और स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दशकों से लेकर आज तक कई बड़े नेताओं ने इसे रणनीतिक ढाल की तरह प्रयोग किया है। भारतीय चुनावी प्रणाली में अभी यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है। इसे पहली बार 1951 के जनप्रतिनिधित्व कानून (Representation of People Act) में अनुमति दी गई थी। तब तर्क यह दिया गया था कि किसी उम्मीदवार को अगर दो जगह से जनता का समर्थन चाहिए, तो उसमें बुराई नहीं। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह प्रावधान जनता के लिए मुसीबत और वित्तीय बोझ बन गया है। स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव 1951-52 में कांठोस का वर्चस्व था, और चुनावी ढाँचा आरपीए 1951 के तहत स्थापित हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को एक साथ एक से अधिक सीटों से नामांकन की अनुमति दी गई-यही प्रावधान आगे चलकर दो सीटों से लड़ने की वैधानिक आधारशिला बना।

इंदिरा-राजीव से सोनिया-राहुल तक

कांग्रेस व्यवस्था के लंबे दौर में विपक्ष कमजोर होने के कारण बड़े नेताओं का सुरक्षा के रूप में एकाधिक सीटों से लड़ना समय के साथ अधिक दिखाई देने लगा। इंदिरा गांधी दो सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी थीं-साल 1980 में उन्होंने रायबरेली (उत्तर प्रदेश) और मेडक (तब आंध्र प्रदेश) दोनों जगह से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीतीं; बाद में उन्होंने मेडक सीट छोड़ दी। 1999 में सोनिया गांधी ने बेल्लारी (कर्नाटक) और अमेठी (उत्तर प्रदेश) से चुनाव लड़ा और दोनों सीटें जीतकर एक सीट छोड़ी-यही पैटर्न बाद के दशकों में भी बना रहा और उपचुनाव की बाध्यता सामने आती रही। 2019 में राहुल गांधी वायनाड और अमेठी से लड़े, वायनाड में जीते और अमेठी हारे-यह बताता है कि डुअल कंटेस्ट एक राजनीतिक जोखिम प्रबंधन उपकरण बना रहा, जिसका प्रभाव स्थानीय मतदाता पर और सार्वजनिक धन पर अलग-अलग तरह से पड़ता है। यह भी देखा गया है कि कई बार मौजूदा जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे देते हैं ताकि खाली हुई सीट पर उपचुनाव द्वारा किसी बड़े नेता को जितवा सकें. डी बी चंद्रे गौड़ा (D.B. Chandre Gowda) चिकमगलूर के मौजूदा कांग्रेसी सांसद थे, जो 1971 और 1977 में इस सीट से जीत चुके थे लेकिन 1978 में इंदिरा गांधी की राजनीतिक वापसी के लिए पार्टी को एक 'सुरक्षित सीट' की जरूरत थी इसीलिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया, ताकि इंदिरा गांधी वहाँ से उपचुनाव लड़ सकें।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का यह एक श्रेष्ठ उदाहरण है।

कुछ अन्य उदाहरण

ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसी कई क्षेत्रीय पार्टियों के नेता भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं।

नवीन पटनायक ने ओडिशा विधानसभा में एकाधिक सीटों से नामांकन किए

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा, दोनों जगह से लड़े।

यानी यह एक आम राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। यह रणनीति केवल नेता का 'सुरक्षा कवच' बनती है, मगर जनता की जेब और विश्वास पर भारी पड़ती है।

जनता का कितना पैसा डूबता है? (सरकारी आँकड़े)

भारत में चुनाव कराना बहुत महंगा कार्य है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार:-2019 के लोकसभा चुनाव पर लगभग 60,000 करोड़ का खर्च हुआ था (जिसमें सरकारी और राजनीतिक पार्टियों का खर्च दोनों शामिल हैं)। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, एक लोकसभा उपचुनाव कराने का औसत खर्च 2-5 करोड़ रुपये होता है। वहीं राज्य विधानसभा के उपचुनाव पर औसतन 1-2 करोड़ रुपये का खर्च आता है। अब जरा सोचिए – सिर्फ इसलिए कि कोई बड़ा नेता दो सीटों पर चुनाव लड़कर एक सीट खाली कर दे, जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाता है। यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क या रोजगार योजनाओं में खर्च हो सकता था।

जनता के साथ अन्याय

यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। जब जनता वोट डालती है, तो वह उम्मीद करती है कि उसका प्रतिनिधि पूरे कार्यकाल तक उसकी सेवा करेगा। लेकिन जब प्रतिनिधि दूसरी जगह चला जाता है, तो उसी जनता को फिर से महीनों प्रचार, मतदान और चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी एक तरफ जनता पर आर्थिक बोझ, और दूसरी तरफ जनता की राजनीतिक भावनाओं से खिलवाड़। क्या यह सीधे-सीधे विश्वासघात नहीं है?

समाधान क्या हो सकता है?

अब सवाल यह उठता है कि इसका व्यावहारिक समाधान क्या है?

1. दूसरे नंबर वाले प्रत्याशी को विजयी घोषित करना

एक तर्क यह है कि अगर कोई नेता दो सीटों पर जीतता है और फिर एक सीट छोड़ देता है, तो उस सीट पर दोबारा चुनाव कराने के बजाय रनर-अप (दूसरे स्थान पर आने वाले) को विजयी घोषित कर दिया जाए।

इससे करोड़ों रुपये बचेंगे।

नेता सोच-समझकर ही कई सीटों से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि सीट छोड़ते ही उनका विरोधी मजबूत होगा।

2. उपचुनाव का खर्च पार्टी या उम्मीदवार से वसूलना

अगर कोई प्रत्याशी सीट छोड़ता है, तो उस सीट के उपचुनाव का पूरा खर्च उसके या उसकी पार्टी से वसूला जाए। इससे उन्हें जनता के टैक्स की कीमत पता चलेगी।

3. केवल एक सीट से चुनाव लड़ने का प्रावधान

वैसे एक सबसे सीधा हल यह है कि कानून में संशोधन करके उम्मीदवार को केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। 1996 में भारत निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजकर सुझाव दिया था कि एक उम्मीदवार को केवल एक सीट से चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन अब तक राजनीतिक दलों ने अपने हितों के चलते इस सिफारिश को लागू नहीं होने दिया।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव

दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों ने पहले ही यह प्रथा खत्म कर दी है।

ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स में उम्मीदवार एक समय में सिर्फ एक ही सीट से चुनाव लड़ सकता है। बांग्लादेश जैसे देशों ने भी इस पर रोक लगा रखी है। तो सवाल यह है कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता के टैक्स के पैसे को ऐसे व्यर्थ बर्बाद करने की इजाज़त क्यों हो?

लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि

लोकतंत्र का मुख्य आधार यह है कि जनता सर्वोपरि है। नेताओं की व्यक्तिगत रणनीति या महत्वाकांक्षा जनता से बड़ी नहीं हो सकती। अगर एक सीट छोड़ने से करोड़ों रुपया बर्बाद होता है और जनता को दोबारा मतदान की मशक्कत करनी पड़ती है, तो यह साफ तौर पर अन्याय है। आज जब देश विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे असली मुद्दों से जूझ रहा है, तब चुनावी व्यवस्था को इतना महंगा और जटिल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। यह वक्त है कि चुनाव आयोग और सरकार मिलकर इस पर सख्त सुधार लाएँ। अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो अपना वोट नहीं डाल सकता लेकिन वही कैदी भले ही दो साल से जेल में है तो वो चुनाव लड़ कर सांसद या विधायक बन सकता है। तो क्या वो जीता हुआ प्रत्याशी अपने क्षेत्र के मतदाताओं के साथ न्याय कर रहा है? उदाहरण के लिए, कश्मीर के बारामूला से सांसद शेख़ अब्दुल रशीद, जो इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है और तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद हैं।

आम समझ से देखें तो जो व्यक्ति जनता की सेवा करने और मिलने-जुलने के लिए उपलब्ध ही नहीं है, वह कैसे इलाके की समस्याएँ सुनेगा, जनसुनवाई करेगा या कामकाज देखेगा-जेल की दीवारें उसे लोगों से अलग कर देती हैं, और जनता उससे मिल भी नहीं पाती।

इसी वजह से लोग कहते हैं कि यह लोकतंत्र का मज़ाक है: जनता तो वोट देने कतार में खड़ी रहती है, लेकिन लाखों लोग जो सिर्फ मुकदमे के चलते जेल में हैं, वोट नहीं डाल पाते, और दूसरी तरफ कोई बंदी कागज़ी औपचारिकताएँ पूरी करके चुनाव में उम्मीदवार बन सकता है। बहुत से संगठनों और कानूनी बहसों में यह मांग उठी है जेल में रहने के दौरान चुनाव लड़ने पर साफ-साफ रोक या सख्त शर्तें लगाई जाएँ, ताकि हक़ और ज़िम्मेदारी का संतुलन बना रहे और जनता का भरोसा कायम रहे।

निष्कर्ष– आज जब हर परिवार महँगाई, बेरोजगारी और टैक्स के बोझ से दबा हुआ है, तब जनता का पैसा नेताओं की महत्वाकांक्षाओं पर खर्च करना लोकतंत्र का मज़ाक है। अगर अनावश्यक उपचुनाव रोके जाएँ, तो करोड़ों रुपये का सदुपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे पर हो सकता है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग, संसद और सरकार इस मुद्दे पर गंभीर बहस करे।

लोकतंत्र मज़बूत तभी होगा जब जनता का सम्मान रहेगा और उसके हित के विपरीत कोई नियम नहीं होगा। दो सीटों पर चुनाव लड़ना राजनीति का खेल नहीं, बल्कि जनता के साथ मज़ाक है – और इसको कानून बनाकर खत्म करना ही लोकतांत्रिक ईमानदारी की पहली शर्त है।

–रोटेरियन सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड
जयपुर, राजस्थान

"जल जीवन मिशन" से बयाना के गांव पुरा बाइखेड़ा में आएगी खुशहाली

हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है

बयाना/भरतपुर, (निसं)। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "जल जीवन मिशन" के तहत बयाना उपखंड के गांव पुरा बाइखेड़ा में हर घर तक नल से पानी पहुंचाने का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से गांव में तीन ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को लंबे समय से चली आ रही पानी की समस्या से राहत मिलेगी।

जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और उच्च जलाशय (ओवरहेड टैंक) का कार्य अंतिम चरण में है। साथ ही दो पानी की टंकियों का निर्माण किया जा रहा है और पूरे गांव में पाइपलाइन बिछाई जा रही है। योजना के तहत लगभग 782 घरों को कनेक्शन दिए जाएंगे, जिससे हर घर में नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित हो सके।

■ करीब 2 करोड़ 5 लाख रुपये की लागत से गांव में तीन ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं

प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण इलाकों में भी हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचे और लोग पानी की कमी जैसी समस्याओं से मुक्त हों। सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और इसी दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

गांववासियों में खुशी की लहर : -इस परियोजना को लेकर गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें पानी के लिए काफी परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब हर घर में नल से जल मिलेगा तो जीवन आसान हो जाएगा। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री और सरकार की कार्यशैली की सराहना की और कहा कि अब गांवों में भी असली विकास दिखने लगा है। पुरा बाइखेड़ा गांव में जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन से यह साफ है कि सरकार की योजनाएं अब ज़मीनी स्तर पर असर दिखा रही हैं। यह पहल न केवल पानी की समस्या से निजात दिलाएगी, बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी बढ़ावा देगी।

लापरवाही पर एक टीचर सस्पेंड, चार को नोटिस

बीकानेर, (निसं)। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्कूलों के निरीक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले एक शिक्षक को सस्पेंड कर दिया, वहीं चार अन्य को नोटिस दिया है। निदेशक जाट शिक्षा विभाग की ओर से चल रहे मौखिक प्रवाह पठन कार्यक्रम में लापरवाही पाए जाने पर ये कार्रवाई की है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को पढ़ने की स्पीड बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। निदेशक जाट ने बीकानेर के 4 विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही विद्यालय में शिक्षण एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खारी चारणान में कक्षा 3 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के समूह बनाकर इस तरह की एक्टिविटी करवानी थी, ताकि बच्चे की पढ़ने की स्पीड बढ़ सके। ऐसी कोई एक्टिविटी स्कूल में नहीं करवाई गई। जाट ने संबंधित शिक्षकों को गम्भीरता पूर्वक कार्य करने की चेतावनी दी और योजनानुसार गतिविधियां आयोजन के निर्देश दिए। पीएमश्री राउमावि गौडू में कार्यक्रम प्रभारी और अध्यापक लेवल-2 चौथमल के कार्य में घोर लापरवाही बताते हुए सस्पेंड किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक ने चौथमल को निलंबित किया है।

निदेशक ने खारी चारणान विद्यालय के की अध्यापिका लेवल-1 रेखा गर्ग और मनदीप कौर तथा

■ माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्कूलों का औचक निरीक्षण किया

वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक माणक चंद सुथार द्वारा गतिविधि आयोजन में बरती जा रही लापरवाही के लिए इनके खिलाफ सीसीए नियम-17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गए। इसी प्रकार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बज्जू में भी मौखिक प्रवाह पठन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को समूह अनुसार गतिविधियों का आयोजन नहीं करवाया जाना पाया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान बगसा राम बिश्नोई द्वारा कार्यक्रम के संबंध में संतोषजनक जानकारी प्रदान नहीं की गई। कार्यक्रम के दिशा-निर्देश एवं गतिविधि आयोजन के संबंध में किसी भी प्रकार की कार्य योजना का भी नहीं पाई गई। इसके मद्देनजर संस्था प्रधान के खिलाफ सीसीए नियम-17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश प्रदान किये गए। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) द्वारा इन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया और 12 सितंबर तक स्पष्टीकरण चाहा गया है।

मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रखर राजस्थान 2.0 के तहत प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को किताब पढ़ते समय अटकने के बजाय स्पीड बनाने के लिए ये कार्यक्रम तय किया गया है, ताकि भाषायी कौशल के विकास, समझ के साथ पढ़ने, लिखने की आदत हो सके। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को मिशन मोड पर लिया है।

निदेशक ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बज्जू के छात्रावास का भी निरीक्षण किया। यहां सहायक वार्डन अर्चना रावत उपस्थित रही। छात्रावास में साफ-सफाई एवं भोजन की गुणवत्ता सही पाई गई। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडायत में निरीक्षण के समय संतोषजनक शैक्षिक व्यवस्थाएं पायी गई। इस दौरान अतिरिक्त निदेशक गोपाल राम बिरदा और जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक किशन दान चारण साथ रहे।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 11 सितम्बर, 2025

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्थी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, अश्विनी नक्षत्र दिन 1:58 तक, धुव्र योग सायं 5:05 तक, बालव करण दिन 12:46 तक, चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मेष, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से दिन 1:58 तक है। ज्वालामुखी योग दिन 1:58 से आरम्भ होगा। आज पंचमी और भरणी का श्राद्ध है। आज विनोभा भावे जयन्ती और भूदान जयन्ती है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:46 तक, चर 10:51 से 12:24 तक, लाभ-अमृत 12:24 से 3:28 तक, शुभ 5:01 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:14, सूर्यास्त 6:33

मेष
व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। आवश्यक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे।

वृष
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। मित्रों/भाई-बंधुओं के कारण समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी बनी रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।

कर्क
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह
व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है।

कन्या
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

तुला
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

वृश्चिक
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आपसी ईर्ष्या-वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मकर
घर-परिवार में शुभ-मांगलिक संदेश प्राप्त हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कुंभ
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में चल रहे आपसी वाद-विवाद समाप्त होंगे।

मीन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।